



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन मंत्री, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-08 / 2019-123 दिनांक : 07/2/2020

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमण्डल, राँची

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन प्रबंधन सुविधायें” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत मजदूरी मद में ₹0 10,000 लाख (दस लाख रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-** इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 742 दिनांक 01.08.2019 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची का ज्ञापांक 309 दिनांक 21.01.2020 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा मँग की गई राशि के अनुरूप पूर्व उप आवंटित राशि के अतिरिक्त ₹0 10,000 लाख (दस लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन मजदूरी मद में किया जाता है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची होंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-08 / 2019-123 दिनांक- 07/2/2020

**प्रतिलिपि :-** अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची / कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार


पाल वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नान्कित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सम्मत अंकित राशि आवंटित की जाती है।

प्रभ संख्या - 01/YB-08/2019/123

दिनांक -

07-Feb-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं उचयन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा बन्ध भाणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधाएँ 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - गजटूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0842) Central Scheme : NA	84051	DRNFWL013  SHABA ALAM ANSARI  DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,000,000.00  रुपये दस लाख



योग:

1,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दस लाख

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI